झारखण्ड विधान-सभा

सत्यमेव जयते

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2002

(सभा द्वारा यथा पारित)

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2002

(सभा द्वारा यथा पारित)

विषय सूची

खण्ड–1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।
2. झारखंड राज्य, विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-2(क 6) का प्रतिस्थापन।
3. झारखंड राज्य, विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-3(1)घ में प्रतिस्थापन।
4. झारखंड राज्य, विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-3(1)च में अंतःस्थापन।
5. झारखंड राज्य, विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-3(4) में परन्तुक का अंतःस्थापन।
6. झारखंड राज्य, विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-4(1)(1)क में संशोधन।
7. झारखंड राज्य, विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-4(1)(7) में संशोधन।
8. झारखंड राज्य, विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-4(2) का विलोपन।
9. झारखंड राज्य, विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-6(1) के साथ परन्तुक का योग।
10. झारखंड राज्य, विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-10(1) में परिच्छेद का विलोपन।
11. झारखंड राज्य, विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-18(14) का प्रतिस्थापन।
12. झारखंड राज्य, विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-18(15) का प्रतिस्थापन।
13. झारखंड राज्य, विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-18(16) का प्रतिस्थापन।
14. झारखंड राज्य, विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-18(17) का विलोपन।
15. झारखंड राज्य, विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-19(1) के अन्त में अंश का योग।
16. झारखंड राज्य, विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-22(2) के अन्त में अंश का योग।
17. झारखंड राज्य, विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-24(1)(9) में प्रतिस्थापन।
18. झारखंड राज्य, विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-24(2) के अन्त में अंश का योग।
19. झारखंड राज्य, विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-26(1) में संशोधन।
20. झारखंड राज्य, विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-26(4) में संशोधन।
21. झारखंड राज्य, विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-26(6)(11) में संशोधन।

22. झारखंड राज्य, विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-27 का विलोपन।
23. झारखंड राज्य, विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-29(1) का संशोधन।
24. झारखंड राज्य, विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-32(2)(घ) का प्रतिस्थापन।
25. झारखंड राज्य, विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-32(2)(ङ) का संशोधन।
26. झारखंड राज्य, विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-36(6) का संशोधन।
27. झारखंड राज्य, विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-41 में प्रतिस्थापन।
28. झारखंड राज्य, विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-45(1)(ग) का प्रतिस्थापन।
29. झारखंड राज्य, विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-57(1) का प्रतिस्थापन।
30. झारखंड राज्य, विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-57(2)(क) एवं 57(3) में प्रतिस्थापन।
31. झारखंड राज्य, विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-57(4)(क), 57(4)(ख) एवं 57(4)(ग) का विलोपन।
32. झारखंड राज्य, विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-57(A)(1) में प्रतिस्थापन।
33. झारखंड राज्य, विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-57(A)(2)(क) एवं 57(A)(2)(ख) का विलोपन।
34. झारखंड राज्य, विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-58(1) का प्रतिस्थापन।
35. झारखंड राज्य, विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-58(8) में प्रतिस्थापन।
36. झारखंड राज्य, विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-58(10) का विलोपन।
37. झारखंड राज्य, विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-67(क) का प्रतिस्थापन।
38. झारखंड राज्य, विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-79 एवं 80 का विलोपन।

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2002

(सभा द्वारा यथा पारित)

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) के संशोधन हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के 53वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :–

   (i) यह विधेयक झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2002 कहा जा सकेगा।
   (ii) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
   (iii) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

2. झारखण्ड राज्य, विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000(अंगीकृत) (जिसे उसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2(क 6) का प्रतिस्थापन :– उक्त अधिनियम की धारा-2, उपधारा (क 6) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जायेंगे यथा :–

"झारखंड राज्य लोक सेवा आयोग" से अभिप्राय है : भारत के संविधान की धारा-320 में प्रदत्त शक्तियों के निर्वहण के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित झारखण्ड लोक सेवा आयोग एवं विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों (अंगीभूत एवं संबद्ध) के शिक्षकों एवं पदाधिकारियों के संदर्भ में नियुक्ति आदि विषयक अनुशंसाएँ करने की शक्ति प्राप्त संस्था"।

3. उक्त अधिनियम की धारा 3(1)घ में प्रतिस्थापन। – धारा-3(4)(घ) में उल्लिखित शब्द "सिद्धु–कान्हु" "सिदो–कान्हु मुर्मू" से प्रतिस्थापित होगा।

4. उक्त अधिनियम की धारा-3(1)(च) में अन्तःस्थापन – उपधारा 3(च) के अन्त में निम्न अंश अंतस्थापित किया जायेगा :–

"परन्तु यह कि इसकी क्षेत्राधिकारता, ऐसे संस्थाओं के संदर्भ में जो होम्योपैथी, देशी चिकित्सा शिक्षा प्रदान करती है और ऐसी शैक्षनिक संस्थाओं जो संस्कृत, पाली, प्राकृत और अन्य ऐसी–भाषाएँ जिन्हें विश्वविद्यालय आवश्यक समझें, में विद्या संबंधी सम्मान प्रदान करती है, सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य होगी।

5. उक्त अधिनियम की धारा-3(4) में 'परन्तुक' का अन्तः स्थापन – धारा-3, उप–धारा(4) में परन्तुक निम्नलिखित रूप में अन्तःस्थापित किया जायेगा, यथा :–

"परन्तु यह कि दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने के मामले में विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार की कोई सीमा नहीं होगी"।

6. उक्त अधिनियम की धारा-4(1) (1) (क) में का संशोधन। – धारा-4, उपधारा(1) (1)(क) में "प्रौद्योगिकी" शब्द के बाद तथा शब्द "सहित" के पूर्व शब्दों "कृषि एवं पशुपालन विज्ञान को छोडकर" अन्तःस्थापित किया जायेगा।

7. उक्त अधिनियम की धारा-4(1)(7) का संशोधन। – धारा-4, उप–धारा (1) (7) में शब्दों "विश्वविद्यालयों के लिए" के बाद तथा शब्दों "अपेक्षित प्राचार्य" के बीच निम्नलिखित शब्दों को अन्तःस्थापित किया जायेगा, यथा :–

"राज्य सरकार की पूर्वानुमति से"

8. उक्त अधिनियम की धारा-4(2) का विलोपन। – धारा-4(2) को विलोपित किया जायेगा।

9. उक्त अधिनियम की धारा-6(1) के साथ "परन्तुक" का योग। – धारा-6(1) में निम्न परन्तुक जोड़े जायेंगे, यथा :–

"परन्तु यह कि विनियम के अधीन निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम भी चला सकेगा।"

10. उक्त अधिनियम की धारा-10(1)के निम्न परिच्छेद का विलोपन। – धारा-10(1) के निम्न परिच्छेद विलोपित हो जायेंगे, यथा :–

"और कोई व्यक्ति कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के लिए योग्य नहीं माना जायेगा जब तक कि वह व्यक्ति कुलाधिपति के विचार में संस्कृत में अपनी विद्वता के लिए अथवा संस्कृत शिक्षा में उल्लेखनीय योगदान के लिए सुविख्यात न हो।"

11. उक्त अधिनियम की धारा-18(14) का प्रतिस्थापन। – धारा-18, उपधारा 14 में निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे, यथा :–

क्रमशः "दस" के स्थान पर "छः" एवं "तीन" के स्थान पर "एक"

12. उक्त अधिनियम की धारा-18(15) का प्रतिस्थापन। – धारा-18, उपधारा(15) के वर्त्तमान प्रावधान निम्नरूप से प्रतिस्थापित होंगे, यथा :–

"क्षेत्रीय भाषा के विद्वानों के एक प्रतिनिधि जिनका मनोनयन राज्य सरकार करेगी"

13. उक्त अधिनियम की धारा-18(16) का प्रतिस्थापन। – इस धारा को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

(क) संकायाध्यक्षों, प्राचार्यों एवं विश्वविद्यालय विभागाध्यक्षों को छोड़कर कम से कम 10 शिक्षकों, जिन्हें कम से कम पाँच वर्षों का शिक्षण अनुभव स्थानापन्न रूप से प्राप्त हो, का निर्वाचन संबंधित अंगीभूत/राजकीय महाविद्यालयों नियमित शिक्षकों द्वारा अपने बीच से इस प्रकार किया जाएगा जिससे कि कम से कम कुल अंगीभूत/राजकीय महाविद्यालयों की संख्या के आधे का प्रतिनिधित्व महाविद्यालयों के वरीयता के आधार पर चक्रानुक्रम के अनुसार प्राप्त हो सके।

(ख) विश्वविद्यालय विभागों का प्रतिनिधित्व, संकायाध्यक्षों एवं विभागाध्यक्षों के अलावे, स्थानापन्न रूप से कम से कम पाँच वर्षों का शिक्षण अनुभव प्राप्त दो चुने हुए शिक्षकों द्वारा किया जाएगा, जिसमे एक विज्ञान/वाणिज्य तथा दूसरा मानविकी/समाज विज्ञान संकाय के होंगे।

(ग) स्थायी रूप से संबद्ध महाविद्यालयों (राजकीय महाविद्यालयों से इतर) का प्रतिनिधित्व एक नियमित चुने हुए शिक्षक/प्राचार्य, जिन्हें स्थानापन्न रूप से पाँच वर्षों से अन्यून शिक्षण अनुभव प्राप्त हो, द्वारा किया जाएगा।

14. उक्त अधिनियम की धारा-18(17) का विलोपन। – धारा-18(17) का प्रावधान विलोपित हो जाएगा।

15. उक्त अधिनियम की धारा-19(1) के अन्त में निम्न अंश का योग। – धारा-19(1) के अन्त में तथा प्रथम परन्तुक के पूर्व निम्न अंश जोड़े जायेंगे, यथा :–

"..... लेकिन इस तरह की बढ़ाई गई अवधि एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी।"

16. उक्त अधिनियम की धारा-22(2) के अंत में निम्न अंश का योग। – धारा-22(2) के अन्त में निम्न अंश जोड़े जायेंगे, यथा :–

"..... लेकिन इस तरह की बढ़ायी गई अवधि एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी"

17. उक्त अधिनियम की धारा-24(1)(9) में प्रतिस्थापन। – धारा-24(1)(9) में अंकित शब्द "छह, 'शब्द' स्थानापन्न रूप से नियुक्त" एवं शब्दों "प्रतिनिधित्व पा सकते हैं" शब्दों "एक शिक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व" के द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

"प्रतिनिधित्व कर सकते हैं" के स्थान पर "एक शिक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व किया जायेगा" प्रतिस्थापित होगा।

18. उक्त अधिनियम की धारा-24(2)के अन्त में निम्न अंश का योग। – धारा-24(2) के अंत में निम्न अंश जोड़े जायेंगें, यथा :–

"..... लेकिन इस तरह की बढ़ाई गई अवधि एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी"

19. उक्त अधिनियम की धारा-26(1) में संशोधन :–

(क) धारा-26, उप–धारा(1) में शब्दों "कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को छोड़कर" को विलोपित समझा जायेगा।

(ख) उप–धारा(1) में शब्दों "अपने अधीन कला" के बाद शब्दों, कोष्ठक "(मानविकी एवं समाज विज्ञान)" अन्तःस्थापित किया जायेगा।

20. उक्त अधिनियम की धारा-26(4) में संशोधन। – धारा-26(4) शब्द "कृषि एवं पशुविज्ञान" जहाँ-जहाँ परिलिखित हों वे विलोपित हो जायेंगे।

21. उक्त अधिनियम की धारा-26(6)(ii) में संशोधन। – धारा-26(6)(ii) के वर्त्तमान प्रावधान विलोपित हो जायेंगे और निम्न अंश जोड़े जायेंगे, यथा :–

"विश्वविद्यालय विभागाध्यक्ष की नियुक्ति विश्वविद्यालय विभाग में पदस्थापित विश्वविद्यालय

प्राध्यापकों तथा वैसे रीडरों (रीडरों, जिन्हें कम से कम आठ वर्षों का शिक्षण अनुभव रीडर के रूप में प्राप्त हो) के बीच से दो वर्षों के लिए चक्रानुक्रम से की जायगी। चक्रानुक्रम, विश्वविद्यालय सेवा संवर्ग के शिक्षकों और जिन्हें स्नातकोत्तर शिक्षण का अनुभव प्राप्त हो के बीच वरीयता के आधार पर किया जायेगा।"

22. उक्त अधिनियम की धारा-27 का विलोपन। – धारा-27 विलोपित समझी जायेगी।

23. उक्त अधिनियम की धारा-29(1) का संशोधन :– धारा-29, उप–धारा(1) में शब्दों "परीक्षा पर्षद कुलपति अध्यक्ष एवं कला विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों के अतिरिक्त परीक्षा से संबंधित संकाय के अध्यक्ष सदस्य रहेंगे" के स्थान पर शब्दों "परीक्षा पर्षद में कुलपति अध्यक्ष, प्रति कुलपति, कुल सचिव, मानविकी, सामाजिक विज्ञान एवं वाणिज्य के संकायाध्यक्षों के अतिरिक्त परीक्षा से संबंधित संकाय के संकायाध्यक्ष सदस्य एवं परीक्षा नियंत्रक सचिव होंगे" का प्रतिस्थापन किया जायेगा।

24. उक्त अधिनियम की धारा-32(2)(घ) का प्रतिस्थापन। – धारा-32(2)(घ) को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :–

"विश्वविद्यालय के विभागों तथा संबंधित विषय में स्नात्तकोत्तर स्तर की शिक्षा देने वाले सभी महाविद्यालयों में पदस्थापित सभी विश्वविद्यालय प्राध्यापक एवं वाचक (वाचक के रूप में कम से कम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव)"

25. उक्त अधिनियम की धारा–32(2)(ङ) का संशोधन। – धारा–32, उप–धारा(2)(ङ) में शब्द "चार" के बाद तथा शब्द "शिक्षक" के पूर्व शब्दों "स्नात्तकोत्तर शिक्षण प्रदान करने वाले" को अन्तःस्थापित किया जायेगा।

26. उक्त अधिनियम की धारा–36(6) का संशोधन। – धारा–36, उप–धारा(6) में शब्द "अंतर विश्वविद्यालय पर्षद" के स्थान पर शब्दों "उच्च शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार" से प्रतिस्थापित किया जायेगा। धारा–36, उप–धारा(6) का 'परन्तुक' विलोपित समझा जायेगा।

27. उक्त अधिनियम की धारा–41 में प्रतिस्थापन। – धारा–41 में जहाँ–जहा "बिहार अंतर विश्वविद्यालय पर्षद" शब्द अंकित है, वहा-वहाँ शब्द "उच्च शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार" प्रतिस्थापित होंगे।

28. उक्त अधिनियम की धारा–45(1)(ग) का प्रतिस्थापन। – धारा–45(1)(ग) के वर्त्तमान प्रावधान विलोपित हो जायेंगें और अधोलिखित अंश इस स्थान पर जोड़े जायेंगं, यथा :–

इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के ठीक पहले, राँची विश्वविद्यालय, राँची (बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1960) (बिहार अधिनियम 14, 1960), से गठित एवं अंतर्विष्ट) सिदो–कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका (पूर्ववर्त्ती सिद्धु–कान्हु विश्वविद्यालय, दुमका) एवं विनोवा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग दोनों बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (1992 का बिहार अधिनियम, 9) द्वारा गठित एवं अंतर्विष्ट के खाते में क्रमशः बची हुई शेष राशि।

29. उक्त अधिनियम की धारा-57(i) का प्रतिस्थापन। – धारा-57(1) निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जायगा :–

"इस अधिनियम एवं परिनियम के उपबंधों के अधीन विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों (अंगीभूत एवं संबद्ध दोना) के शिक्षकों एवं पदाधिकारियों (कुलपति, प्रतिकुलपति, कुलानुशासक, अध्यक्ष, छात्र–कल्याण, समायोजक, महाविद्यालय विकास परिषद एवं संकायाध्याक्षों के अलाव) की नियुक्ति एवं प्रोन्नति झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर की जायगी।"

30. उक्त अधिनियम की धारा-57(2)(क) एवं 57(3) में प्रतिस्थापन। – धारा-57(2)(क) एवं 57(3) में शब्दों "बिहार राज्य विश्वविद्यालय (अंगीभूत महाविद्यालय) सेवा आयोग" को "झारखण्ड लोक सेवा आयोग" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायगा।

31. उक्त अधिनियम की धारा-57(4)(क), 57(4)(ख) एवं 57(4)(ग) का विलोपन। – धारा-57(4)(क), (ख) एवं (ग) विलोपित समझें जायेंगे।

32. उक्त अधिनियम की धारा-57(A)(1) में प्रतिस्थापन। – धारा-57(A) का उप–धारा(ए) में "कॉलेज सेवा आयोग" जहाँ–जहाँ परिलक्षित होंगे वे "झारखण्ड लोक सेवा आयोग" द्वारा प्रतिस्थापित होंगे।

33. उक्त अधिनियम की धारा-57(A)(2)(क) एवं 57(A)(2)(ख) का विलोपन। – धारा-57(A), उप–धारा 57(A)(2)(क) एवं 57(A)(2)(ख) विलोपित समझें जायेंगे।

34. उक्त अधिनियम की धारा-58(1) का प्रतिस्थापन।–धारा 58 की उपधारा (1) में शब्दों कोष्ठक "बिहार राज्य विश्वविद्यालय (अंगीभूत महाविद्यालय) सेवा आयोग" को शब्दों "झारखण्ड लोक सेवा आयोग" से प्रतिस्थापित समझा जायेगा।

35. उक्त अधिनियम की धारा-58(8) में प्रतिस्थापन। – धारा-58 उप–धारा 8 में अंकित शब्दों "अन्तर विश्वविद्यालय पर्षद" शब्दों "उच्च शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड सरकार" से प्रतिस्थापित समझे जायेंगे।

36. उक्त अधिनियम की धारा-58(10) का विलोपन। – धारा-58 में, उपधारा(10) विलोपित समझा जायेगा।

37. उक्त अधिनियम की धारा-67(क) का प्रतिस्थापन । – धारा-67, उपधारा (क) के वर्त्तमान प्रावधानों को निम्न प्रावधानों से प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :–